न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07/2018

प्रदीप कुमार जैन पुत्र सौभागमल जैन निवासी पंच महा मन्दिर के पास टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 07.03.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

सभी नकले ग्राम पथराज खुर्द पो0 भॉवता तहसील टोडारायसिंह की है।

1–मि0नं0 237 मे से किस किस के नाम कितनी जमीन लगी इस खसरा नंबर की सम्पूर्ण नकल।

2–चकबंदी रजिस्टर सम्वंत 2010,2019 एंव 2050 की नकल।

3– मिसल नम्बर 22 दिनांक 14.02.1943 की नकल।

4–खसरा नम्बर 240 से 243 सम्वंत 2000 से 2018 तक की जमाबंदी की नकल।

5–नामान्तकरण नम्बर 31 दिनांक 06.03.1957 एंव ना.नं. 63 दिनांक 02.06.1960 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल।

6–मिलान क्षेत्रफल सम्वंत 2010 से 2019 उपरोक्त नंबर के 237/1,237/2,237/3,237/4

7–जमाबंदी सम्वंत 2010 से 2020 एंव 2025 से 2028 एंव 2028 से 2032 खसरा नंबर 240 से 243 एंव 237/1,237/2,237/3

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह टोंक को पत्र क्रमांक 256 दिनांक 05.02.2018,292 दिनांक 15.02.2018 व 366 दिनांक 26.02.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह ने पत्र क्रमांक 698 दिनांक 26.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 145 दिनांक 10.01.2018 से सूचना के संबंध मे अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक